डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मेड़ता व इजलास श्री के.आर. चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 383 / 2017

वादी :– मोटाराम पुत्र श्री चौथाराम, जाति जाट, निवासी कापड़ियों की ढाणी(मेड़तारोड़), तहसील मेड़ता, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरकाराम पुत्र श्री चौथाराम, जाति जाट, निवासी कापड़ियों की ढाणी(मेड़तारोड़), तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. तहसीलदार, मेड़ता।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :– 20.08.2019

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा 383 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिम मुदयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा कापड़ीवास के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.51 हैक्टेयर की खातेदारी मौजा फलौदी के नामान्तरकरण संख्या 2082 के अनुसार हरकाराम पुत्र श्री चौथाराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र श्री चौथाराम कौम जाट(कापड़ी) के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

लीज.................................. मुबलिक.................................. बाबत..................................

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.................................. फोस सदी सालाना आज तारीख तारीख वसूलयोबो तक.................................. को अदा करे।

बसीब्त पेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख......21......

माह......08...... सन् 2019

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा मेड़ता (राज.)